न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–राजेन्द्र विजय आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या– 05/2016

बउनवान

राजस्थान सरकार जरिये सुनील यादव, प्रवर्तन निरीक्षक, छीपाबडौद जिला–बारां (राज.)

(प्रार्थी)

बनाम

1–श्री लेखराज शर्मा, उचित मूल्य दुकानदार, खेड़ला जागीर, तहसील–छीपाबडौद, जिला–बारां
2–श्री मांगीलाल पुत्र श्री हीरालाल निवासी खेड़ला जागीर, तहसील–छीपाबडौद, जिला–बारा

(अप्रार्थी)

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 धारा, 6(ए) के तहत

(प्रार्थी)

उपस्थिति :–1. पेरोकार रसद

निर्णय दिनांक– 15.11.2021

1– प्रार्थी श्री सुनील यादव, प्रवर्तन निरीक्षक, छीपाबड़ौद ने इस्तगासा विरूद्व अप्रार्थी अन्तर्गत धारा, 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत कर इस्तगासे में अंकित किया है कि दिनांक 24.09.2016 को उपखण्ड अधिकारी, छीपाबड़ौद द्वारा दूरभाष पर सूचना दी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का गेंहू होने के शक के आधार पर 12 कट्टे जिनका वनज 4.75 क्विं. गेंहू जब्त किया गया है जिसे अटल सेवा केन्द्र में रखवाया हुआ है। इस सूचना पर दोपहर 12.30 बजे ग्राम देवरी जोध पहुंचा तथा उक्त गेंहू के सम्बन्ध में वहां लागों से पूछताछ की गई जिसमें सामने आये तथ्यों में ''जब्त 12 कट्टे वजन 4.75 क्विं. गेंहू मय बारदाना अटल सेवा केन्द्र देवरी जोध में रखे पाये गये'', ''दिनांक 24.09.2016 को मौके पर जब्त गेंहू मांगीलाल पुत्र श्री हीरालाल निवासी खेड़ला जागीर द्वारा उसका होना बताया गया'', '':उक्त जब्तशुदा गेंहू को श्री बृजकिशोर व्यास उचित मूल्य दुकानदार छीपाबड़ौद को अभिरक्षा हेतु सुपुर्द किया गया'', ''श्री [illegible] दुकानदार खेड़ला जागीर के रेकार्ड/स्टॉक की जांच की गई जो सही पा[illegible] साथ हीं प्रकरण में जप्तशुदा गेंहू मय बारदाना को धारा, 6(ए) आवश[illegible] राजसात किये जाने हेतु निवेदन किया गया। इस्तगासा [illegible] व जब्ती, फर्द [illegible] तथा बयानात श्री मांगीलाल पुत्र श्री हीरालाल एवं शिकायतकर्त[illegible]श किये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.02.02 12:33:49 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

2– प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया। अप्रार्थीगण दिनांक 10.05.2018 को उपस्थित हुये तत्पश्चात निरन्तर अनुपस्थित रहने पर हमने एकपक्षीय बहस पेरोकार सरकार की सुनी।

3– बहस के दौरान प्रार्थी पेरोकार रसद ने इस्तगासा में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि जब्तशुदा गेंहू 4.75 क्विं. मय बारदाना का अंतरिम निस्तारण श्रीमान् के आदेशानुसार किया जाकर प्राप्त राशि अमानत मद में जमा करवाई जा चुकी है। बावजूद सूचना अप्रार्थीगण निरंतर अनुपस्थित रहे हैं। अप्रार्थी श्री मांगीलाल पुत्र श्री हीरालाल ने जांच में जब्तशुदा गेंहू 12 कट्टे निजी खेत का होना तथा बेचने के लिये छीपाबड़ौद ले जाना बताया था, परन्तु इस बाबत भी प्रकरण में कोई चाराजोही नहीं की है। अतः जब्तशुदा गेंहू 4.75 क्विं. मय बारदाना को राजसात किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

4– हमने पेरोकार रसद की बहस को सुना। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड दस्तावेजात् का आद्योपांत अवलोकन किया गया जिससे पाया जाता है कि प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक, छीपाबड़ौद द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर ग्राम देवरीजोध में पहूँचकर मौके पर जॉच करने पर पाया कि "जब्त 12 कट्टे वजन 4.75 क्विं. गेंहू मय बारदाना अटल सेवा केन्द्र देवरी जोध में रखे पाये गये", "दिनांक 24.09.2016 को मौके पर जब्त गेंहू मांगीलाल पुत्र श्री हीरालाल निवासी खेड़ला जागीर द्वारा उसका होना बताया गया", ":उक्त जब्तशुदा गेंहू को श्री बृजकिशोर व्यास उचित मूल्य दुकानदार छीपाबड़ौद को अभिरक्षा हेतु सुपुर्द किया गया", "श्री लेखराज शर्मा उचित मूल्य दुकानदार खेड़ला जागीर के रेकार्ड/स्टॉक की जांच की गई जो सही पाया गया"। प्रार्थी द्वारा जब्तशुदा गेंहू 4.75 क्विं. मय बारदाना को राजसात करने हेतु इस्तगासा पेश किया है, जो उचित प्रतीत होता है।

5– परिणामस्वरूप, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में जब्तशुदा गेंहू 4.75 क्विं. मय बारदाना को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी, बारां को आदेश दिये जाते है कि जब्तशुदा गेंहू की राजकीय अमानत मद में जमाशुदा राशि विभागीय नियमानुसार निस्तारण कर, प्राप्त आय को निर्धारित विभागीय मद में जमा करावें।

निर्णय आज दिनांक 15.11.2021 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

कार्यालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

(राजेन्द्र विजय)
जिला कलक्टर
जिला कलक्टर,बारां
बारां (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.02.02 12:33:49 IST
Reason: SelfAttested